उत्तर प्रदेश शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3
संख्या एम–3171/32–3–2010–97/2009
लखनऊ: दिनांक: 5 अगस्त, 2010
कार्यालय– ज्ञाप

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विधायक निवासों की साज–सज्जा हेतु शासनादेश संख्या–एम–5215/32–3–2010–97/2009, दिनांक 13 अप्रैल, 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राज्य सम्पत्ति अधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रूपये–50.00 लाख में से प्रथम छः माह हेतु रूपये 28 लाख 50 हजार को निम्नानुसार विधायक निवासों की साज–सज्जा हेतु एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है:–

कम संख्या	विधायक निवास का नाम	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1–	विधायक निवास–1 अ	2,50,000.00
2–	विधायक निवास–1 ब	3,00,000.00
3–	विधायक निवास–2 नया	2,75,000.00
4–	विधायक निवास–2 पुराना	50,000.00
5–	विधायक निवास–3 ओसीआर	4,00,000.00
6–	विधायक निवास–4 रॉयल होटल	3,00,000.00
7–	विधायक निवास–5	75,000.00
8–	विधायक निवास–6 पार्क रोड	4,00,000.00
9–	बहुखण्डी मंत्री आवास	8,00,000.00

योग–28,50,000.00
(रूपये अट्ठाईस लाख पचास हजार मात्र)

3– उक्त धनराशि में से वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मास की आवश्यकताओं का आंकलन कर मानक के अनुसार नियमानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुरूप ही साज–सज्जा सामग्री कय की जायेगी तथा स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सामग्री कय नहीं की जाएगी।

4– उक्त आवंटित धनराशि में से ऐसे निश्चित व्यय यथा–सफाई, फर्नीचर का कय एवं मरम्मत, उद्यान सामग्री का कय, धुलाई एवं शासकीय कार्य हेतु फोटोस्टेट आदि के भुगतान हेतु धनराशि सुरक्षित रखी जाएगी। अवशेष धनराशि से अन्य आवश्यक सामग्री नियमानुसार एवं निर्धारित प्रकियानुसार कय की जाएगी।

5– किसी भी दशा में आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय कर शासन पर दायित्व सृजित नहीं किए जाएगे। दायित्व सृजित होने की स्थिति में सम्बंधित व्यवस्थाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

6– उक्त आवंटित धनराशि उसी मद/कार्य में व्यय की जाएगी जिस निमित्त अनुमति प्रदान की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7– इस सम्बंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार ही सुसंगत प्राप्त देयकों का भुगतान किया जायेगा।

8– **आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत ही सम्बंधित विधायक निवासों से व्यवस्थाधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु देयक उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त सीमा से अधिक के देयक उपलब्ध कराने पर सम्बंधित व्यवस्थाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।**

9– भुगतान हेतु प्रत्येक बिल के साथ भौतिक सत्यापन समिति के सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी तथा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भौतिक सत्यापन समिति द्वारा सामग्री का मौके पर निरीक्षण कर सत्यापन किया गया है।

मनोज राय
सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या–एम–3171 (1)/32–3–2010 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3– अनुभाग अधिकारी(लेखा) राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 ।
4– कोषाध्यक्ष,राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1/राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4 ।
5– राज्य सम्पत्ति विभाग के समस्त विधायक निवासों के व्यवस्थाधिकारीगण को इस आशय से प्रेषित कि प्रथम छः माह की आवश्यकताओं का आंकलन कर मानक के अनुसार साज–सज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। छः माह के उपरान्त अवशेष धनराशि का आवश्यकता के अनुरूप आवंटन करने पर विचार किया जायेगा।
6– अध्यक्ष, भौतिक सत्यापन समिति, विधायक निवास।
7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8– श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, विशेष कार्याधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज राय)
सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी।